तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/5/25	[illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] तारीख [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9/6/25 को पेश हो
9/6/25	[illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] तारीख [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/7/25 को पेश हो
11/7/25	[illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] तारीख [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/9/25 को पेश हो
10/9/25	वकील प्रार्थी उप॰। बहस प्रा॰ पत्र सुनी गई। फैसले वास्ते आदेश दि. 25/9/25 को पेश हो।
25/9/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा॰ मि॰ किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

हाल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
प्र/प्रा0पत्र/2021	01.04.2021	25.09.2025

दलाल कराड आ0 मोहन जाति कराड निवासी ग्राम सूतडा पुलिस थाना डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी

प्रार्थी

वनाम

1. देवीलाल आयु 36 वर्ष आ0 स्व0 श्री पन्नाजलाल जाति प्रजापत निवासी सूतडा थाना डाबी तह0 तालेडा
2. सुनीता आयु 32 वर्ष पत्नी देवीलाल जाति प्रजापत निवासी सूतडा थाना डाबी तह0 तालेडा
3. राजस्थान राज्य जरये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री कुलदीप सिंह गोड
अधिवक्ता अप्रार्थी :–

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की खाता संख्या नयी 99 पुरानी 100 की कृषि भूमि ख.सं. 385 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, ख.सं. 388 रकबा 07 बिस्वा, ख.सं. 459 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, ख.सं. 460 रकबा 3 बिस्वा, ख.सं. 461 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कूल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम व माल– सूतडा पटवार हल्का धनेश्वर तह0 तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिसमें प्रार्थी तथा उसके भाई बहिनों का संयुक्तरूप से 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी तथा अन्य सहखातेदारों ने आपसी सहमति से बटंवारा कर अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी ने वर्तमान में अपने हिस्से की कृषि भूमि पर गैहूँ की फसल की हुई है जो पककर तैयार हो चुकी है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में होने वाली उपज व फसल की जानवरों से सुरक्षा के लिए अपने मकान के मुख्य दरवाजे से पत्थर का कोट खिंचवा रखा था तथा वर्तमान में प्रार्थी ने कुछ पत्थर के कोट पर पक्का निर्माण तथा कुछ हिस्सा पत्थर के कोट का ही चला आ रहा है। यह कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि के समीप अप्रार्थी सं० 1 देवीलाल के द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकारी बाडे की भूमि पर कब्जा किया हुआ है तथा अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की फसल को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से पत्थर के कोट को ढँसाते रहते है एवं प्रार्थी द्वारा पत्थर के कोट को ढँसाने से मना करने पर अप्रार्थीगण गाली गलोच व अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते है तथा अप्रार्थी सं० 2 आये दिन ही प्रार्थी व उसके पुत्र को झूँठे मुकदमें में फसाने की धमकी देते रहते है। प्रार्थी की फसल में जानवरों को घुसाते रहेगें। अप्रार्थीगण के इस कृत्य से प्रार्थी को फसल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण प्रार्थी ने पत्थर की कोट को पक्की दीवार निर्माण करवाना चाहा तो अप्रार्थीगण द्वारा पक्की दीवार का निर्माण को भी गिरा दिया जा रहा है। जबकि प्रार्थी द्वारा पक्की दीवार का निर्माण पत्थर की कोट के स्थान पर अपने खाते की कृषि भूमि में किया जा रहा है, जिसमें अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार निहित नहीं है और न ही अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि में निर्मित पत्थर के कोट पर पक्की दीवार निर्माण करने में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का व्यवधान, दखलन्दाजी व दीवार निर्माण करने में किसी प्रकार का कृत्य न तो स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। इस बाबत अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब करने पर अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस एक पक्षीय वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बयान किया कि प्रार्थी ने पत्थर की कोट को पक्की दीवार निर्माण करवाना चाहा तो अप्रार्थीगण द्वारा पक्की दीवार का निर्माण को भी गिरा दिया जा रहा है। जबकि प्रार्थी द्वारा पक्की दीवार का निर्माण पत्थर की कोट के स्थान पर अपने खाते की कृषि भूमि में किया जा रहा है, जिसमें अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार निहित नही। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि में निर्मित पत्थर के कोट पर पक्की दीवार निर्माण करने में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का व्यवधान, दखलन्दाजी व दीवार निर्माण करने में किसी प्रकार का कृत्य न तो स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। इस बाबत अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र व उसके साथ प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की खाता संख्या नयी 99 पुरानी 100 वाके ग्राम व माल– सूतडा पटवार हल्का ...श्वर तह0 तालेडा का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना पक्ष नही रखे जाने से वाद में अंकित तथ्यो एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी वाद वर्णित आराजी का रेकार्डड खातेदार है। प्रार्थी खातेदार कृषक होने से खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा हेतु प्रार्थी को अधिकार प्रदत्त है। अतः ***प्रथम दृष्टया*** प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ***सुविधा का सन्तुलन*** के बिन्दु पर मनन करने पर प्रार्थी खातेदार कृषक होने से यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर सुरक्षा दिवार बनाने अथवा प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो असुविधा केवल प्रार्थी को होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है। ***अपूरणीय क्षति*** के बिन्दु पर भी विचार किया जाता है तो प्रार्थी खातेदार कृषक की भूमि पर किसी भी प्रकार के नुकसान पर प्रार्थी खातेदार की ही क्षति होगी अतः अपूरणीय क्षति के बिन्दु को भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र में सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि ख.सं. 385 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा(1.4002 हैक्टे.), ख.स. 388 रकबा 07 बिस्वा(0.0568 हैक्टे.), ख.स. 459 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा (0.5585 हैक्टे.), ख.सं. 460 रकबा 3 बिस्वा(0.0243 हैक्टे.), ख.सं. 461 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा(0.4371 हैक्टे.) कुल किता–5 कुल रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा(2.4768 हैक्टे.) वाके ग्राम व माल सुतडा तह0 तालेडा में प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप/व्यवधान न तो स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रा0 पत्र मुल वाद के संलग्न हो एवं मुल वाद के निर्णय पश्चात बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा